भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 17

दिनांक 02 फरवरी, 2021 को उत्तरार्थ

ग्राम स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा

***17. डॉ० रमापति राम त्रिपाठी:**

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ग्राम स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान किये जाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिये प्रत्येक पंचायत में कम-से-कम एक कम्प्यूटर प्रदान किये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रयोजन के लिए विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सहित राज्य सरकारों को आवंटित राशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उपलब्ध कराई गई राशि उक्त प्रयोजन हेतु पर्याप्त है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु आवंटित राशि में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ड.) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

गांव स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा से संबंधित दिनांक 02.02.2021 को लोक सभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 17 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क), (घ) एवं (ड.) पंचायत स्थानीय शासन, जो भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची के राज्य सूची का भाग है, होने के कारण एक राज्य विषय है, राज्य का दायित्व है। तथापि पंचायती राज मंत्रालय अपनी स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से कम्प्यूटरों की व्यवस्था सहित राज्य के प्रयासों को बढ़ावा देता है। वर्ष 2018-19 से लागू राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की पुर्नगठित स्कीम के अंतर्गत यह मंत्रालय ग्राम पंचायतों के लिए सीमित स्केल पर राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कम्प्यूटर और इससे जुड़े उपकरणों (पैरिफरल) के लिए वितीय सहायता प्रदान करके इस संबंध में राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग के तहत अबद्ध/ मूल अनुदानों का उपयोग ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) द्वारा वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर स्थान-विशिष्ट महसूस की गई आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है।

(ख) वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (आज तक) के दौरान उत्तर प्रदेश सहित राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्य योजना के तहत उन ग्राम पंचायतों की संख्या, जिनके लिए कम्प्यूटर अनुमोदित किया गया था, **अनुबंध-I** में दिया गया है। वर्ष 2017-18 के दौरान तथाकथित क्षमता निमार्ण-पंचायत सशक्तिकरण अभियान (सीबी-पीएसए) के तहत कोई कम्प्यूटर अनुमोदित नहीं किया गया था।

(ग) वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (आज तक) के दौरान कम्प्यूटरों के लिए वार्षिक कार्य योजना के तहत अनुमोदित राज्य-वार निधि का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

****

अनुबंध I

दिनांक 02.02.2021 को लोक सभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 17 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक वार्षिक कार्य योजना के तहत ग्राम पंचायतों की संख्या (राज्य / केंद्र शासित प्रदेश वार) जिनके लिए कंप्यूटर स्वीकृत किये गये हैं

क्र.सं.	राज्य	2018-19	2019-20	2020-21
1	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	611	690	971
3	अरूणाचल प्रदेश	122	139	50
4	असम	60	149	26
5	बिहार	352	531	531
6	छत्तीसगढ़	100	100	100
7	दादर एवं नगर हवेली	0	1	0
8	दमन एवं दीव	0	0	
9	गोवा	0	0	0
10	गुजरात	0	30	0
11	हरियाणा	359	405	405
12	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
13	जम्मू एवं कश्मीर	316	1000	250
14	झारखण्ड	36	41	17
15	कर्नाटक	0	0	
16	केरल	0	100	0
17	लद्दाख	-	-	100
18	लक्षद्वीप	-	-	0
19	मध्य प्रदेश	100	150	100
20	महाराष्ट्र	0	0	0
21	मणिपुर	10	8	12
22	मेघालय	135	152	54
23	मिजोरम	25	149	18
24	नागालैण्ड	92	124	42
25	ओडिशा	0	0	0
26	पुडुचेरी	0	14	0

27	पंजाब	931	1052	1052
28	राजस्थान	54	54	54
29	सिक्किम	13	16	0
30	तमिलनाडु	187	200	200
31	तेलंगाना	532	1569	1812
32	त्रिपुरा	54	250	250
33	उत्तराखण्ड	487	549	0
34	उत्तर प्रदेश	4238	7788	7788
35	पश्चिम बंगाल	0	0	0

(-) कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ नव निर्मित /कैंद्र शासित प्रदेश

(0) कंप्यूटर के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ

<u>अनुबंध II</u>

<u>दिनांक 02.02.2021 को लोक सभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 17 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध</u>

<u>वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 (आज तक) कम्प्यूटरों के लिए वार्षिक कार्य योजना के तहत अनुमोदित निधियों का विवरण (राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशवार)</u>

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	राज्य	2018-19	2019-20	2020-21
1	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	2.444	2.76	3.884
3	अरूणाचल प्रदेश	0.49	0.55	0.20
4	असम	0.24	0.59	0.104
5	बिहार	1.24	2.12	2.12
6	छत्तीसगढ़	0.40	0.40	0.40
7	दादर एवं नगर हवेली	0	0.004	0
8	दमन एवं दीव	0	0	
9	गोवा	0	0	0
10	गुजरात	0	0.12	0
11	हरियाणा	1.44	1.62	1.62
12	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
13	जम्मू एवं कश्मीर	1.26	8.29	2.73
14	झारखण्ड	0.144	0.164	0.068
15	कर्नाटक	0	0	0
16	केरल	0	0.40	0
17	लद्दाख	-	-	0.4
18	लक्षद्वीप	-	-	0
19	मध्य प्रदेश	0.40	0.60	0.40
20	महाराष्ट्र	0	0	0
21	मणिपुर	0.04	0.032	0.048
22	मेघालय	0.54	0.61	0.216
23	मिजोरम	0.10	0.59	0.07
24	नागालैण्ड	0.37	0.49	0.17
25	ओडिशा	0	0	0
26	पुडुचेरी	0	0.056	0

27	पंजाब	3.724	4.2080	4.21
28	राजस्थान	0.21	0.21	0.216
29	सिक्किम	0.05	0.06	0
30	तमिलनाडु	0.75	0.06	0.80
31	तेलंगाना	2.128	6.27	7.248
32	त्रिपुरा	0.21	1.00	1.00
33	उत्तराखण्ड	1.95	2.19	0
34	उत्तर प्रदेश	16.95	31.15	31.15
35	पश्चिम बंगाल	0	0	0
	कुल	35.08	64.544	57.054

(-) कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ नव निर्मित /केंद्र शासित प्रदेश

(0) कंप्यूटर के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ